

HO/Board/9/9/2025-26 / 1143  
delegates

4<sup>th</sup> September, 2025

The Representatives of all  
Eligible Member Federations / Societies

Sub: 68<sup>th</sup> Annual General Body Meeting of NAFED to be held on 26<sup>th</sup> Sept. 2025 at  
11.00 AM at Bharat Mandapam Convention Centre, New Delhi

Dear Sir/Madam,

We are happy to inform you that the 68<sup>th</sup> Annual General Body Meeting of NAFED is scheduled to be held on 26<sup>th</sup> September 2025 (Friday) at 11.00 AM at Bharat Mandapam Convention Centre, Auditorium No.1 , Gate No.7 New Delhi-110001.

2. In accordance with Section 38(3) of the Multi State Cooperative Societies Act 02, the member cooperative society can represent only through the Chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the Board. The Section 38(3) of the MSCS Act 02 is reproduced below:

"Where in any meeting of the General Body or the Board of multi state cooperative society, a cooperative society or another multi state cooperative society is to be represented, such cooperative society or other multi state cooperative society shall be represented in such meeting only through the Chairperson or the President or the Chief Executive or a member of the Board of such cooperative society or other multi state cooperative society, as the case may be, if such member is so authorized by the board and where there is no board of such cooperative society or other multi state cooperative society, for whatever reasons, through the administrator, by whatever name called, of such cooperative society or other multi state cooperative society."

Contd.....P/2

9c



मु.का./बोर्ड/9/9/2025-26

4 सितंबर, 2025

नेफेड के सामान्य निकाय के सभी पात्र  
सदस्य संघ/समितियों के प्रतिनिधिगण

**विषय: नेफेड की 68वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक 26 सितम्बर, 2025 को प्रातः 11.00 बजे  
भारत मंडपम् कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में होनी निश्चित।**

महोदय/महोदया,

हमें आपको सूचित करते हुए अति प्रसन्नता हो रही है कि नेफेड की 68वीं वार्षिक सामान्य निकाय बैठक 26 सितम्बर, 2025 (शुक्रवार) को प्रातः 11.00 बजे भारत मंडपम् कन्वेंशन सेंटर, ऑडिटोरियम-1, द्वार सं. 7, नई दिल्ली-110001 में होनी निश्चित हुई है।

2. बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 की धारा 38(3) के अनुसार सदस्य सहकारी समिति केवल अपने अध्यक्ष या प्रेसिडेंट अथवा मुख्य कार्यकारी अथवा अपने निदेशक मंडल के सदस्य के माध्यम से ही प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 02 की धारा 38(3) निम्नानुसार पुनःप्रस्तुत करता है कि:

"जहां बहुराज्यीय सहकारी समिति के सामान्य निकाय या बोर्ड की किसी बैठक में किसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व किया जाना है, वहां ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का प्रतिनिधित्व ऐसी बैठक में केवल अध्यक्ष या प्रेसिडेंट या मुख्य कार्यकारी या ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के बोर्ड के सदस्य के माध्यम से किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, यदि ऐसा सदस्य बोर्ड द्वारा अधिकृत है और जहां किसी भी कारण से ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति का कोई बोर्ड नहीं है, वहां ऐसी सहकारी समिति या अन्य बहुराज्यीय सहकारी समिति के प्रशासक के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाए, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए।"

जारी.....पृष्ठ/2



-2-

3. The agenda of the meeting will be as under:

- i. To consider confirmation of minutes of the last Annual General Body Meeting held on 13<sup>th</sup> September 2024.
- ii. To consider review of follow up action taken on the minutes of the last Annual General Body Meeting held on 13<sup>th</sup> September 2024.
- iii. To consider disposal of Net Profit earned by Nafed during the year 2024-25 (01.04.2024 to 31.03.2025)
- iv. Constitution of Committee for appointment of Statutory Auditors for FY 2025-26 and Amendment of Existing Guidelines.
- v. To consider Financial Statement and Audit Report for the year 2024-25 along with Compliance of the Audit Observations.
- vi. To consider fixation of Maximum Borrowing Limit of Nafed.
- vii. To consider Annual Business Budget proposal of Nafed for the year 2025-26.
- viii. List of the employees, who are relatives of the Members of the Board or of the Chief Executive
- ix. Any other item with the permission of the Chair.

4. For the convenience of delegates, registration counters will operate at Nafed House, Siddhartha Enclave, Ashram Chowk, New Delhi-110014 on 25<sup>th</sup> September 2025 from 11.00 AM to 5.00 PM. The registration counters for the delegates will also be operated at the venue of the meeting on 26<sup>th</sup> September 2025 from 8.00 AM onwards.

5. The delegates are advised to settle and accept the claim as per the following norms at payment counter itself before they leave the counter, which will be final for all purposes. The delegates will be paid TA/DA etc. for attending General Body Meeting as under:

Contd.....3/-



3. बैठक की कार्यसूची निम्न प्रकार से है:-

- i. 13 सितम्बर, 2024 को हुई पिछली सामान्य निकाय की बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि पर विचार।
- ii. सामान्य निकाय की 13 सितम्बर, 2024 को हुई पिछली वार्षिक बैठक के कार्यवृत्त पर की गई अनुवर्ती कार्यवाही की समीक्षा पर विचार।
- iii. वर्ष 2024-25 (01.04.2024 से 31.03.2025) के दौरान नेफेड द्वारा अर्जित शुद्ध लाभ के निपटान पर विचार करना।
- iv. वित्त वर्ष 2025-26 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति के लिए समिति का गठन और मौजूदा दिशानिर्देशों का संशोधन करना।
- v. वर्ष 2024-25 के लिए वित्तीय विवरणी और लेखापरीक्षा रिपोर्ट और लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विचार करना।
- vi. नेफेड की अधिकतम ऋण सीमा के नियतन पर विचार करना।
- vii. वर्ष 2025-26 के लिए नेफेड के वार्षिक व्यवसाय बजट पर विचार करना।
- viii. कर्मचारियों की सूची, जो निदेशक मंडल के सदस्यों या मुख्य कार्यकारी के संबंधी हैं।
- ix. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य किसी विषय पर विचार।

4. प्रतिनिधियों की सुविधा के लिए 25 सितम्बर 2025 को प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक नेफेड भवन, सिद्धार्थ इन्कलेव, आश्रम चौक, नई दिल्ली-110014 में पंजीकरण काउंटर कार्य करेंगे। बैठक स्थल पर भी 26 सितम्बर, 2025 को प्रातः 08.00 बजे से प्रतिनिधियों के लिए पंजीकरण काउंटर कार्य करेंगे।

5. प्रतिनिधियों को परामर्श दिया जाता है कि काउंटर छोड़ने से पहले भुगतान काउंटर पर निम्नलिखित मापदण्डों के अनुसार दावों/बिलों का निपटान स्वीकार करें, जो सभी बिलों/दावों के लिए अंतिम निपटान होगा। वार्षिक सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों को निम्नलिखित यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता आदि का भुगतान किया जाएगा।



**RAIL FARE** : AC II tier two single fares for to and fro journey against the declaration given by delegates, if any delegate travel by a higher class the claim will be restricted to AC II tier fare only.

**INCIDENTALS** : One additional AC II tier rail fare to meet expenses from the place of stay to the nearest railway station/bus stand to the place of meeting of AGM and back and other expenses incurred during journey.

**DAILY** : Rs. 1000/- per day, not exceeding for a period of 2 days

**ALLOWANCE** i.e. Rs. 2000/- maximum.

6. You are also requested to please quote your registration/society membership number at the time of registration for your convenience and smooth registration.

7. If the nomination has not been sent till date or last minute change in the nomination of the representative on the AGM of Nafed, then the fresh nomination be sent to Nafed and the newly nominated delegate should also carry the fresh resolution of his society duly filled in and attested by the District/Assistant Registrar of Cooperative Societies or Branch Manager of the Bank of your area along with the official seal.

8. You are requested to kindly make it convenient to attend the meeting. You are also requested to bring your valid photo **ID Card** issued by Government Department for verifying the authenticity.

Thanking you,

Yours faithfully,



(Deepak Agarwal)  
Managing Director

Encl: as above.

Copy to: The Central Registrar of Cooperative Societies, Ministry of Cooperation, Govt. of India, 9<sup>th</sup> floor, Tower-E, World Trade Centre, Nauroji Nagar, New Delhi-110029 - for information please.



**रेल किराया:** प्रतिनिधियों द्वारा घोषित स्थान के समीपस्थ आने और जाने के लिए ए.सी.-॥ टियर के दो सिंगल रेल किराए, यदि कोई प्रतिनिधि इससे उच्च श्रेणी में यात्रा करता है तो उसका दावा ए.सी.-॥ टियर के किराए तक ही सीमित होगा।

**प्रासंगिक:** एक अतिरिक्त ए.सी.-॥ टियर का रेल किराया जिसमें समीपस्थ रेलवे स्टेशन/बस स्टैंड पर ठहरने और वहां से सामान्य निकाय की बैठक के स्थान पर जाने और आने का व्यय तथा यात्रा के दौरान किया गया अन्य व्यय शामिल है।

**दैनिक भत्ता:** 1000/- रुपये प्रतिदिन, किंतु दो दिन से अधिक नहीं, यथा अधिकतम 2000/- रुपये।

6. आपसे अनुरोध है कि अपनी सुविधा एवं सुचारू पंजीकरण के लिए पंजीकरण कराते समय कृपया अपनी पंजीकरण/समिति की सदस्यता संख्या का उल्लेख करें।

7. यदि नेफेड की सामान्य निकाय की बैठक में भाग लेने वाले प्रतिनिधि का नामांकन प्राप्त नहीं होता अथवा प्रतिनिधि के नाम में अंतिम क्षणों में यदि कोई परिवर्तन होता है तो नए नामित प्रतिनिधि अपने साथ समिति का नया प्रस्ताव लाएं जो कि क्षेत्र के जिला/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां या अपने क्षेत्र के सहकारी बैंक के प्रबंधक से उनकी कार्यालयीन मोहर सहित सत्यापित होना चाहिए तथा पूर्ण रूप से भरा होना चाहिए।

8. आप से अनुरोध है कि बैठक में भाग लेने की कृपा करें तथा आपसे यह भी अनुरोध है कि प्रमाणिकता की पुष्टि के लिए अपने वैध प्रमाणपत्र अपने साथ लाएं।

सधन्यवाद।

भवदीय  
हस्ता/-  
(दीपक अग्रवाल)  
प्रबंध निदेशक

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रति: केंद्रीय पंजीयक, सहकारी समितियां, सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, 9वां तल, टावर-ई, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, नरौजी नगर, नई दिल्ली-110029 : सूचनार्थ।



**SPECIMEN COPY OF INSTRUMENT OF NOMINATION**

Copy of the Resolution of the  
Board of Directors/Managing  
Committee of the (name of the  
Society)\_\_\_\_\_

Photograph of  
the Nominee

Date of the meeting\_\_\_\_\_

Agenda Item No.\_\_\_\_\_

Nomination of a representative on the General Body of National Agricultural  
Cooperative Marketing Federation of India Ltd.,(NAFED), New Delhi-110 014

Resolution No.\_\_\_\_\_

Resolved that Shri/Mrs./\_\_\_\_\_Age\_\_\_\_\_

Son/Husband's Name\_\_\_\_\_

Designation/Position\_\_\_\_\_

Residential Address\_\_\_\_\_

Society's Address with Pin Code No.\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_Name of the State\_\_\_\_\_

Telephone No. with STD Code//Mobile No.\_\_\_\_\_

E-Mail Address\_\_\_\_\_

Note: Please attach cancelled cheque copy of Representative who attending the Meeting.

is nominated to represent the Society/Federation on the General Body of NAFED.  
He/She has also been authorized to contest vote and withdraw his/her candidature  
from the election, if necessary. He/She is to continue as our representative for a  
period of\_\_\_\_\_years or till nomination of a fresh representative by another resolution.

\_\_\_\_\_  
CHAIRMAN OF THE MEETING/PRESIDING OFFICER

ATTESTED TO BE TRUE COPY  
OFFICIAL SEAL OF THE SOCIETY

Date\_\_\_\_\_

Signature of the Representative\_\_\_\_\_

District/Assistant Registrar of Cooperative Societies or Manager/Branch Manager of  
Cooperative Bank or where the Society is holding its accounts along with the seal



नामांकन नमूना प्रस्ताव की प्रति

निदेशक मण्डल/प्रबंध समिति

के प्रस्ताव की प्रति (समिति का नाम) \_\_\_\_\_

बैठक की दिनांक \_\_\_\_\_

कार्यसूची सं० \_\_\_\_\_

भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ मर्यादित (नेफेड) नई दिल्ली की सामान्य निकाय का बैठक का भाग लेने के लिए प्रतिनिधि का नामांकन

प्रतिनिधि का  
फोटो

प्रस्ताव सं० \_\_\_\_\_

प्रस्ताव पारित किया जाता है कि श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_

आयु \_\_\_\_\_

सुपुत्र/पत्नी श्री \_\_\_\_\_

पदनाम \_\_\_\_\_

समिति का पता \_\_\_\_\_

पिन कोड \_\_\_\_\_

जिला \_\_\_\_\_

ई-मेल पता: \_\_\_\_\_

फोन \_\_\_\_\_

न० \_\_\_\_\_

को समिति/संघ की ओर से नेफेड की सामान्य निकाय की बैठक में प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया जाता है। उन्हें निर्वाचन में खड़ा होने, मतदान करने और यदि आवश्यक हो तो निर्वाचन से अपना नाम वापिस लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। वे \_\_\_\_\_ वर्ष तक या दूसरे प्रस्ताव के द्वारा नए प्रतिनिधि का नामांकन होने तक हमारे प्रतिनिधि बने रहेंगे।

बैठक के अध्यक्ष/प्रस्तुति अधिकारी के हस्ताक्षर

सत्यापित प्रति/कार्यालय की मोहर

दिनांक \_\_\_\_\_

प्रतिनिधि के हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

अपने इलाके के जिला/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां अथवा सहकारी

बैंक के प्रबंधक/शाखा प्रबंधक अथवा जहाँ पर समिति का खाता है, के कार्यालय की मोहर सहित सत्यापित करवाएं।